प्रस्तावित Uttarakhand Self-Financed Independent Schools(Regulation of Fee) Act के मुख्य बिन्दु

- राज्य सरकार द्वारा प्री–प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, सेकेण्डरी तथा सीनियर सेकेण्डरी कक्षाओं के लिए अधिकतम शुल्क निर्धारित किया जायेगा
- जो भी विद्यालय इस शुल्क से सहमत नही होंगे वे सत्र प्रारम्भ होने से तीन माह पूर्व तक शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय Fee Regulatory committee को देगा ।
- जनपद स्तरीय Fee Regulatory committee में निम्न सदस्य होंगे –
  1– जिलाधिकारी
  2– मुख्य शिक्षा अधिकारी
  3– जिलाधिकारी द्वारा नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
  4– लो0 नि0 वि0 का अधिशासी अभियन्ता
  5– जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अभिभावक
  6– जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी विद्यालय का प्रबन्धक / प्रधानाचार्य
- समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा
- समिति आवेदन प्राप्त होने के एक माह मे शुल्क का पुर्ननिर्धारण करेगी
- समिति शुल्क में अनियमितता सम्बन्धी शिकायतों का भी निपटारा करेगी
- प्रथम बार शिकायत सही प्राप्त होने पर एक लाख रूपया, दूसरी बार शिकायत सही प्राप्त होने पर पांच लाख रूपया, तथा तीसरी बार शिकायत सही प्राप्त होने पर मान्यता समाप्ति अथवा अनापत्ति वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी ।
- जनपद स्तरीय समिति द्वारा लिए गये निर्णयों के विरुद्ध अपील के लिए राज्य स्तर पर State Appellate Authority का गठन किया जायेगा ।
- इस समिति के निम्न सदस्य होंगे
  1– सचिव विद्यालयी शिक्षा
  2– शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा
  3– शिक्षा सचिव द्वारा नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
  4– लो0 नि0 वि0 का मुख्य अभियन्ता
  5– सचिव द्वारा नामित कोई अभिभावक
  6– सचिव द्वारा नामित किसी विद्यालय का प्रबन्धक / प्रधानाचार्य
- समिति एक माह में प्रकरण को निस्तारित करेगी
- सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी विद्यालय अपने शुल्क का विवरण वैबसाइट पर अनिवार्यत: प्रकाशित करेंगे

Scanned by CamScanner

- कोई भी विद्यालय अग्रिम के रूप में शुल्क की वसूली नही करेंगे
- विद्यालय अपने परिसर में कोई भी व्यवसायिक गतिविधि संचालित नही करेगा ।
- विद्यालय द्वारा बिना जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन के यूनिफार्म आदि में कोई परिवर्तन नही होगा ।

Scanned by CamScanner